रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-22042025-262591 CG-DL-E-22042025-262591

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 202] No. 202]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 21, 2025/ वैशाख 1, 1947 NEW DELHI, MONDAY, APRIL 21, 2025/VAISAKHA 1, 1947

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग) अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 15 अप्रैल, 2025

सा.का.िन. 241(अ).— गैस सिलेंडर नियम, 2016 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमों का प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार, विस्फोटक अधिनियम, 1884 (1884 का 4) की धारा 5 और 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है, ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, उक्त अधिनियम की धारा 18 की उप-धारा (1) की अपेक्षानुसार प्रकाशित किया जाता है; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियम पर, उस तारीख से जिसको राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, तीस (30) दिन के पश्चात् विचार किया जाएगा;

इन प्रारूप नियमों पर आपत्तियां अथवा सुझाव, यदि कोई हों, निर्दिष्ट अवधि के भीतर निदेशक (विस्फोटक), उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय को कक्ष संख्या 252-ए, उद्योग भवन, नई दिल्ली-110001 अथवा ई-मेल: expl-dipp@nic.in; पर भेजे जा सकते हैं;

उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त होने वाली आपत्तियों या सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

2641 GI/2025 (1)

प्रारूप नियम

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (1) इन नियमों को गैस सिलेंडर (संशोधन) नियम, 2025 कहा जाएगा।
 (2) ये राजपत्र में इनके अंतिम रूप से प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. गैस सिलेंडर नियम, 2016 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा जाएगा) के नियम 4 में क. खंड (viii) में, "कंटेनर" शब्द के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:– "आईएस 18608 या आईएसओ 21011 या के अनुरूप"
- ख. खंड (ix) में "के अनुरूप" शब्दों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:– "सीजीए V-1 या"
- 3. उक्त नियमों में, नियम 19 के उप नियम (4) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
- "4क. गैस सिलेंडर, वाल्व और एलपीजी रेगुलेटर के लिए सामग्री की अनुरूपता आईएस/आईएसओ 11114-1 और आईएस/ आईएसओ 11114-2 के अनुसार होगी। अन्य सभी गैसों के लिए, जिनका उल्लेख आईएस/आईएसओ 11114-1 और आईएस/आईएसओ 11114-2 में नहीं किया गया है, मुख्य नियंत्रक के अनुमोदन से गैस के अनुरूप उपयुक्त धात्विक और गैर-धात्विक सामग्री का उपयोग किया जाएगा।"
 - 4. उक्त नियमों में, नियम 21 के उप नियम (7) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:– हाइड्रोजन भंडारण प्रणाली के भंडार की छत सीजीएपीएस-46 के मानकों के अनुरूप होगी"
- 5. उक्त नियमों के, नियम 35 में, "मुख्य नियंत्रक" शब्द के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
- "हाइड्रोजन सेवा के लिए उपयोग किए जाने वाले सिलेंडर के मामले में, निम्नलिखित अतिरिक्त परीक्षण की शर्त होगी"
- क. आईएसओ 17081: विद्युत-रासायनिक तकनीक द्वारा धातुओं में हाइड्रोजन पारगमन के मापन और हाइड्रोजन अवशोषण और परिवहन के निर्धारण की पद्धति,
- ख. आईएसओ 10587: धातु और अन्य अकार्बनिक कोटिंग्स बाह्य रूप से थ्रेडेड धात्विक-कोटेड और अनकोटेड दोनों प्रकार की वस्तुओं और रॉड्स के अवशिष्ट भंगुरता के लिए परीक्षण - इंक्लाइंड वेज पद्धति,
- ग. आईएसओ 16573: इस्पात अधिक मजबूती वाले इस्पात के हाइड्रोजन भंगुरता प्रतिरोध के मूल्यांकन के लिए माप विधि भाग 1: स्थिर भार परीक्षण,
- घ. आईएसओ 15330: फास्नर्स हाइड्रोजन भंगुरता का पता लगाने के लिए प्री-लोर्डिंग परीक्षण समानांतर बेयरिंग सतह पद्धति।
- 6. प्रस्तावित गैस सिलेंडर नियम, 2016 (संशोधन), 2024, जिसका प्रारूप जनता की टिप्पणियों, आपित्तयों, सुझावों के लिए उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना सा.का.नि. 157 (अ) दिनांक 5 मार्च, 2024 द्वारा पहले ही अधिसूचित किया जा चुका है, में निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
 - (क) क्रम संख्या 49 में, लाइसेंस प्रपत्र-ज की शर्तों में, शर्त 11 के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया अर्थात्:-
- "(11क) हाइड्रोजन से चालित वाहन की ईंधन प्रणाली, आईएसओ 21266-1 या आईएसओ 21266-2, जैसा भी मामला हो,के संगत प्रावधानों या मुख्य नियंत्रक द्वारा स्वीकृत किसी अन्य संहिता के अनुरूप होगी।"

[फा.सं.पी-13033/32/2021-विस्फोटक-भाग (1)] डॉ.संध्या भुल्लर, संयुक्त सचिव टिप्पण- मूल नियम अधिसूचना संख्या 1081 (अ), तारीख 22 नवंबर, 2016 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग॥, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् अधिसूचना संख्या सा.का.िन.189 (अ) तारीख 27
फरवरी, 2018, सा.का.िन. 231 (अ) तारीख 15 मार्च, 2018, सा.का.िन. 44 (अ) तारीख 23 जनवरी, 2019
और सा.का.िन. 44(अ) तारीख 20 जनवरी, 2022 द्वारा इनमें संशोधन किया गया।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th April, 2025

G.S.R. 241(E).—The draft of the following rules to amend the Gas Cylinders Rules, 2016 which the Central Government proposes to make, in exercise of the powers conferred by sections 5 and 7 of the Explosives Act, 1884 (4 of 1884), is hereby published as required by sub-section (1) of section 18 of the said Act, for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft shall be taken into consideration after Thirty (30) days from the date on which the copies of this notification as published in the Official Gazette are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, to these draft rules may be sent to the Director (Explosives), Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry, Room No. 252-A, Udyog Bhavan, New Delhi – 110001 or Email: expl-dipp@nic.in; within the period specified above.

The objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules, within the period so specified will be considered by the Central Government.

Draft rules

- 1. **Short title and commencement.—**(1) These rules may be called the Gas Cylinders (Amendment) Rules, 2025.
 - (2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.
 - 2. In the Gas Cylinders Rules, 2016 (hereinafter referred to as said rules), in rule 4
- a. clause (viii), following shall be inserted after the word "container", following shall be inserted namely:-

"conforming to IS 18608 or ISO 21011 or"

- b. clause (ix) after the words "conforming to", following shall be inserted namely:-
- "CGA V-1 or"
- 3. In the said rules, in rule 19 after sub rule (4), following shall be inserted namely:-
- "4a. For compatibility of material for Gas Cylinders, Valves and LPG Regulators, IS/ISO 11114-1 and IS/ISO 11114-2 shall be referred. For all other gases which are not mentioned in IS/ISO 11114-1 and IS/ISO 11114-2, suitable metallic and non-metallic materials compatible with the gas shall be used with approval of Chief Controller."
 - 4. In the said rules, in rule 21 after sub rule (7), following shall be inserted namely:"The roof over storage of hydrogen storage system shall conform to CGAPS-46 standards"
 - 5. In the said rules, in rule 35 after the word "Chief Controller" following shall be inserted namely:"In case of cylinder used for hydrogen service shall be subjected to following additional test
- (a) ISO 17081: Method of measurement of hydrogen permeation and determination of hydrogen uptake and transport in metals by an electrochemical technique,
- (b) ISO 10587: Metallic and other inorganic coatings Test for residual embrittlement in both metallic-coated and uncoated externally-threaded articles and rods Inclined wedge method,
- (c) ISO 16573: Steel Measurement method for the evaluation of hydrogen embrittlement resistance of high strength steels Part 1: Constant load test,
- (d) ISO 15330: Fasteners Preloading test for the detection of hydrogen embrittlement Parallel bearing surface method.

- 6. In the proposed Gas Cylinders Rules, 2016 (Amendment), 2024 whose draft for comments, objections, suggestions of public was already notified vide gazette notification GSR 157 (E) dated 5th March, 2024 issued by Department for Promotion of Industry and Internal Trade, following shall be inserted namely:-
- (a) at serial number 49, in conditions of license FORM H after condition 11 the following condition shall be inserted namely:-
- "(11a) The fuel system of the vehicle operating on hydrogen shall conform to the relevant provisions of ISO 21266-1 or ISO 21266-2 as the case may be or any other code accepted by the Chief Controller."

[F.No. P-13033/32/2021-EXPLOSIVE-Part(1)] Dr. SANDHYA BHULLAR, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the official Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Subsection (i) vide notification number 1081(E) dated 22nd November, 2016 and subsequently amended vide notification number G.S.R. 189(E) dated 27th February, 2018, G.S.R. 231(E) dated 15th March 2018, G.S.R. 44(E) dated 23rd January, 2019 and G.S.R. 44(E) dated 20th January 2022.